चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 28.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 27.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 28.11.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारी/कर्मचारीगण की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से अवगत कराते हुए सतर्कता पूर्वक ड्यूटी का निर्वहन करने हेतु बताया गया तथा संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारीगण विशेष ध्यान देने हेतु बताया गया।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र को 03 जोन व 05 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें 09 अपर पुलिस अधीक्षक, 20 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 62 निरीक्षक, 150 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 18 महिला उप निरीक्षक, 550 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल, 60 महिला आरक्षी, 10 यातायात उपनिरीक्षक, 40 यातायात आरक्षी, 10 एलआईयू उपनिरीक्षक, 30 एलआईयू मुख्य आरक्षी/आरक्षी, 05 पीएससी कंपनी की डियूटी लगाई गई है। महोदय ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनायें।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अमृतपाल कौर, अपर जिला अधिकारी वित एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम. अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी कर्वी पूजा साहू, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली तथा बाह्य जनपद के आये समस्त अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). मा0 न्यायालय सिविल जज/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चित्रकूट के आदेश दिनाँक 22.10.2024 के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह, फौजदारी लिपिक श्री अंजुब श्रीवास्तव, अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन, प्रभारी निरीक्षक श्रीमती रीता सिंह, आबकारी अधिकारी श्री प्रफुल्ल अपराध निरीक्षक श्री प्रभुनाथ यादव एवं प्रधान लेखक शेषनारायण की उपस्थित में थाना पहाड़ी परिसर के बाहर जेसीबी मशीन द्वारा गढ्ढा खोदकर 140 मुकदमों के पंचनामा माल समिति के समक्ष नष्ट कराकर आग लगाकर विनिष्ट किया गया ।

(5). आज दिनांक 28.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी के सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कोतवाली कर्वी शहर के विभिन्न स्थान,शम्भू पेट्रोप पम्प तिराहा,एसडीएम कालोनी,इलाहाबाद रोड,कर्वी माफी,धनुष चौराहा,एलआईसी तिराहा,धतुरहा चौराहा,स्टेशन रोड,सर्राफा बाजार,द्वारिकापुरी, कालीदेवी चौराहा,भगवानदीन चौराहा,तरौहा एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों/इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट/अपर जनपद न्यायाधीश श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में

पंजीकृत मु0अ0सं0 3081/2009 धारा 307/34 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट के आरोपी अभियुक्त शिवा उर्फ शिवाकान्त मिश्रा उर्फ संतोष पुत्र बाबू केशव निवासी अतरौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 04 वर्ष का कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट/अपर जनपद न्यायाधीश श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 3083/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त शिवा उर्फ शिवाकान्त मिश्रा उर्फ संतोष पुत्र बाबू केशव निवासी अतरौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8).आज दिनाँक 28.11.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम स्थल रामायण मेला सीतापुर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा सामूहिक विवाह योजना में होने वाली कमियों को दूर करने हेतु व्यवस्थापन एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन को सकुशल एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु यातायात पार्किंग एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी/चौकी प्रभारी सीतापुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अमृतपाल कौर, उपजिलाधिकारी कर्वी पूजा साहू एवं चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता,पीआरओ श्री प्रदीप पाल अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।